

पंजीयन क्रमांक 751/06

दिनांक 20-4-2006

डिस्पेंच नं.

दिनांक

प्रपत्र (फार्म) संख्या - 7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर

श्री जैसाण कादरी गोपाल गोशाला संस्थान

मागु का गांव

तहसील बैसलमेर

जिला जैसलमेर

के सावधान में।

चूंकि श्री सुमार स्वामी

आदिवासी

न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री जैसाण कादरी गोपाल गोशाला संस्थान

मागु का गांव

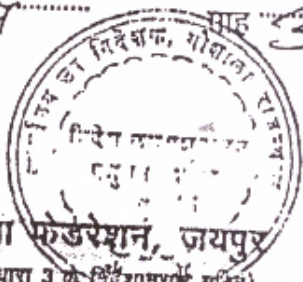
ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर्ड) करली गई है।

आज दिनांक 20-4

माह अप्रैल

वर्ष 2006



राजस्थान से:

राजस्थान स्टेट गोशाला फेडरेशन, जयपुर

(राजस्थान गोशाला एक्ट 1960 की धारा 3 के अधिनियम के तहत)

सी-120/121, गोमाला भवन, बजाज नगर, जयपुर-15 फोन : 2706261

उपनिदेशक गोशाला
पंजीयक (रजिस्ट्रार) अधीन उपनिदेशक
गोशाला राजस्थान जयपुर
20-4

दिनांक 14/06/06